

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं०- १५/२०१२

योगेश्वर प्रसाद सिंह

बनाम

सरकार (मार्फत अनु० पदा, मढौरा, सारण)

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
०७.०५.२०१५	<p>यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण के आदेश ज्ञापांक २२१०, दिनांक २४.०७.२०१२ के विरुद्ध दाखिल है।</p> <p>उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक १०.०१.२०१२ को योगेश्वर प्रसाद सिंह, ज०वि०प्र०वि, अनु सं०-०३/२००७, पंचायत-कवलपुरा प्रखंड - मशरक, की दूकान की जांच जिला स्तरीय जांच दल सं० ६ (श्रीमति पुनीता श्रीवास्तव, निदेशक, डी०आर०डी०ए, सारण) के द्वारा की गई। जांच के क्रम में विक्रेता की दूकान बंद पाई गई।</p> <p>उक्त अनियमितता के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा, सारण के ज्ञापांक ५८९, दिनांक २२.०३.२०१२ के द्वारा विक्रेता से कारण-पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जिसके विरुद्ध यह अपील वाद लाया गया है।</p> <p>अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि जांच की तिथि १०.०१.२०१२ को ११:०० बजे दिन तक विक्रेता अपनी दूकान खोलकर रखे थे, ११:०० बजे के बाद खाद्यान्न के उठाव हेतु नेफ्ट की राशि जमा करने हेतु पंजाब नेशनल बैंक, मुरलीपुर, तैरैया गये थे। विक्रेता के द्वारा जानबुझ कर दुकान बंद नहीं रखी गई थी। एक अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा आदेश पारित किया गया कि दूकान के एक दिन बंद रहने की स्थिति में विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कार्रवाई करना उचित नहीं है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विक्रेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।</p> <p>विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा</p>	



विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनियमितता बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 2210 दिनांक 24.07.2012) एक मुखर आदेश नहीं है। विक्रेता की दूकान यदि बंद थी तो अनुज्ञापन पदाधिकारी को चाहिए था कि एक तिथि निर्धारित कर दूकान से संबंधित कागजात/पंजी मंगवाकर निरीक्षण किया जाता, विक्रेता को सुनवाई का एक मौका दिया जाता और यदि जांच में कोई अनियमितता पाई जाती तो पूरक कारण पृच्छ करते हुए विक्रेता की अनुज्ञप्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाती, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक.....304...../न्या0, दिनांक.....08/05/2015.....

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
08/05/15